तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए।

21.5.18

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार हाजिर। सुना गया। जमाबंदी संवत् 2066-69 वाके ग्राम जगपुरा के खाता सं. नया-पुराना 548-513, 335-306, 334-305, 190-173, अप्रार्थी सं. 1 से 5 के नाम दर्ज है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पुश्तैनी है तथा प्रार्थीगण के दादा की खातेदारी की आराजी है। तथा प्रार्थीगण के दादाजी की मृत्यु हो चुकी है।

हिन्दु उत्तराधिकार के प्रावधानों के तहत प्रार्थीगण का हक हिस्सा व अधिकार प्रश्नगत आराजी में है। प्रार्थीगण की माता उनका भरण-पोषण करती है। अप्रार्थीगण सं. 2 उनका पिता है। किन्तु 3-3-12 को उसने धमकी दी की मैं आराजी का विक्रय करूंगा। अत: उसे अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु तीनो आवश्यक बिन्दु प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे हैं। अत: प्रतिवादी सं. 2 को उसे प्रार्थीगण के हक हिस्से तक पाबन्द किया जाता है कि आराजी प्रश्नगत का मूलवाद के निस्तारण तक विक्रय स्थानान्तरण नही करे। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का निर्धारण नही करता है। हक अधिकार का प्रश्न मूलवाद में तय होगा। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करे

सदस्य
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)

सदस्य
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)

अध्यक्ष
लोक अदालत शि[illegible]
सरवाड़ (अ[illegible]

Scanned by CamScanner